

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2014—भाद्र 11, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

अधि. क्र. 27-एफ. 1-33-2013-अठारह-3-शुद्धि-पत्र.—विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 16-एफ-1-33-2013-अठारह-3, दिनांक 5 जुलाई 2014 में निम्न अशुद्धियों को सुधारा जाता है:—

- (1) नियम 26 के उपनियम (1)(क)(एक) में अंकित "नगरपालिका परिषद्" के स्थान पर "नगर परिषद्" पढ़ा जावे.
- (2) नियम 26 के उपनियम (1)(क)(तीन) में अंकित "नगरपालिका निगम" के स्थान पर "नगरपालिक निगम" पढ़ा जावे.
- (3) नियम 26 के उपनियम (1)(ख) में अंकित "नगरपालिका परिषद्" के स्थान पर "नगर परिषद्" पढ़ा जावे.
- (4) नियम 26 के उपनियम (1)(घ) में अंकित "नगरपालिका निगम" के स्थान पर "नगर पालिक निगम" पढ़ा जावे.
- (5) नियम 63ट में उपनियम (1) में, खण्ड (क) में शब्द, अंक कोष्टक तथा अक्षर 50(4) (क) में अंकित मतदाता प्ररूप "17" के स्थान पर "17-क" पढ़ा जावे.
- (6) प्ररूप 17-क के अंत में अंकित "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर "पीठासीन अधिकारी" पढ़ा जावे.
- (7) प्ररूप 18-क के अंत में अंकित "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर "पीठासीन अधिकारी" पढ़ा जावे.
- (8) प्ररूप 21-क के ऊपर अंकित पंक्ति में अंकित प्ररूप "20" के स्थान पर "21" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.